**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.856**

**11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए**

**शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का जातिवार प्रतिनिधित्व**

856 **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के बाद शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या और भागीदारी में परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992 और 1998 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों की महिलाओं सहित शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का श्रेणी-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2019 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की महिलाओं सहित शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का श्रेणी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री कौशल किशोर)**

(क) से (ग): संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 का अनुच्छेद 243 टी प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में, आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें से एक तिहाई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी नगर पालिका में सीटों की कुल संख्या (एससी/एसटी सहित) का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा जिसे सीधे चुनाव द्वारा भरा जाएगा। एससी/एसटी श्रेणियों की महिलाओं सहित शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से संबंधित डेटा केंद्र सरकार द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

*******